


फर्द अहकाम  
(नियम 20)  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सुरतगढ़

बलवीर सिंह बनाम जोगीर सिंह वगैरह  
किस्म मुकदमा:- प्रकरण संख्या:- 23 / 2019  
88-188-92 A-203 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
7.2.19	आज यह पत्रावली वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर की जाये। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण समन तलब किया जाये ताकि दावा में तलबी हेतु अधिक समय व्यतीत नही हो। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 25.4.19 को पेश हो।	<p style="text-align: center;">401</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सुरतगढ़</p>
25.4.19	पत्रावली पेश हुई प्राथी/ वकील उमय पक्ष हज़िर SDO सा० बीरे पर/अलकाशपर/ सुगाव अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 22.19 को पेश हो।	
09/04/19	पत्रावली पेश हुई प्राथी/ वकील उमय पक्ष हज़िर SDO सा० बीरे पर/अलकाशपर/ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 29/04/19 को पेश हो।	
10/04/19	<p>आज मह पत्रावली वकील पादी हाप प्राणि पत्र पेश बुके पर पेशी में ली गई। वकील पादी ने निवेदन दिया की प्राणिगण अशानिगण के खिलाफ डोरि कार्रवाई नही चाहता है। उक्त पाद पत्र से वापिस उठावा चाहते हैं। अतः पत्रावली तारीख पेशी में लेभत किया करते का आदेश सुनमा जावे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वही समय पाद पत्र में आगे कार्रवाई नही चाहते हैं, पाद पत्र दिया करना चाहते हैं। पादी की पहचान वकील सी जखीर सिंह के ही है। अतः पाद पत्र इती तस पर किया करते के आदेश दिने जाते हैं। पत्रावली लेभत से उम हो फटकील पक्ष हो।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनमा गया।</p>	<p style="text-align: right;">बलवीर सिंह</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी              सुरतगढ़         </p>